तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/07/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री पर सुनी गयी। प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री दी जानी मूंजर की जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर, ग्राम 5 बी.एस.एम. के खसरा नंबर के मुरब्बा नंबर 176/12 के किला नंबर 3 ता 19 व 22 ता 25 कुल किता 20 कमाण्ड भूमि 5.0580 हैक्टर व मुरब्बा नंबर 176/13 के किला नंबर 2 ता 8 व 13, 14 कुल किता 9 कमाण्ड भूमि 2.1749 हैक्टर व मुरब्बा नंबर 176/19 के किला नंबर 18, 19, 20/2, 21/2, 22 व 23 कुल किता 6 कमाण्ड भूमि 1.4668 व मुरब्बा नंबर 176/20 के किला नंबर 1/2, 2 ता 4 व 7 ता 9 व 10/2, 11/2 व 12 ता 15 व 17 ता 20/2 व 21/2 ता 23 कुल किता 20 तादादी कमाण्ड 4.9062 व मुरब्बा नंबर 176/21 किला नंबर 1/2 व 2 व 10/2 कुल कमाण्ड भूमि 0.6575 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 59 कमाण्ड भूमि 14.4405 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का 1/4 हक व हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक का 1/90–1/90 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/5 हक व हिस्सा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी) के आधार पर उपखण्ड अधिकारी बीकानेर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खाता विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा अलग– अलग रंग से हिस्सा दर्शाते हुए तीन प्रतियों में तैयार कर 15 दिवस में भिजवावें। तहसीलदार बीकानेर अपनी उपस्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए आदेश की पालना करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आदेश आज दिनांक 10.07.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर	